न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 53/2021

GCMS NO. : **2021/128**

–:: सायलान ::–	**बनाम**	**–:: गैरसायलान ::–**
1. उमराव कंवर पत्नि जयसिंह 2. समरप्रताप सिंह पुत्र जयसिंह जातियान राजपूत निवासीगण पृथ्वीपुरा तहसील जैतारण जिला पाली।		1. भंवरलाल पुत्र सुजाराम 2. रामलाल पुत्र सुजाराम 3. हंजादेवी पत्नि सुजाराम जातियान राईका निवासीगण पृथ्वीपुरा तहसील जैतारण जिला पाली। 4. तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 09/11/2021

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय :– **दिनॉकः 28/07/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायलान संख्या 1 व 3 की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा पृथ्वीपुरा पटवार हल्का गरनिया भू–अभिलेख निरीक्षण क्षैत्र बैडकलां तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 111 रकबा 5.5280 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम की आई हुई है। जिसमें सायला संख्या 01 का 1/3 वां हिस्सा, सायल संख्या 02 का 1/3 वां हिस्सा, इसी प्रकार गैरसायल संख्या 01 से 03 का संयुक्त रूप से 1/3 वां हिस्सा है। इन्ही हिस्सो माफिक सायलान एवं गैरसायलान का वर्षो पूर्व से आपसी सहमति से बंटवाड़ा हो रखा है तथा माफिक बंटवाड़ा के अनुसार मौके पर प्रत्येक हिस्सेदार के हिस्से की भूमि में आवागमन के लिये सामलाती रास्ते भी छोड़े गये है। इस भूमि की चालू जमाबन्दी व नक्शा इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित हिस्से अनुसार सायलान एवं गैरसायलान का मौके पर कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारों के बीच पिछले कई वर्षो पूर्व से बंटी हुई है। लेकिन भूमि के बंटवाड़े का [illegible] दर्ज नहीं होकर उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है। इस [illegible] उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में शामलाति दर्ज होने की वजह से गैरसायल संख्या 01 से 03 आये दिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

इस भूमि के नाप–चौंप सीमा व माठ को लेकर सायलान से विवाद कर रहे है। तथा मौके पर इस वादग्रस्त भूमि में सायलान के हिस्से के कब्जासुदा खेत में आवागमन करने में गैरसायल संख्या 01 से 03 दखलन्दाजी कर रहे है तथा मौके पर सायलान का आवागमन को रोक रहे है। इस प्रकार से सायलान के हक हिस्से एवं कब्जे की भूमि पर जबरदस्ती अपना कब्जा होना बताकर के सायलान के कब्जे काश्त में भी गैरसायल संख्या 01 से 03 दखलन्दाजी कर रहे है। जबकि सायलान अपने हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की इस भूमि पर काली मिट्टी व देशी खाद आदि डालकर के उसको और अधिक उपयोगी बनाना चाहते है एवं अपने हक हिस्से की भूमि की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ माठ पर जाली व तारबंदी भी करना चाहते है। लेकिन गैरसायल संख्या 01 से 03 उसमें भी विवाद कर रहे है। इस वजह से सायलान इस विवादित भूमि के बाबत् गैरसायलान से इस संयुक्त और सामलाती रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउडण्स के बंटवाड़ा करना चाह रहे है। लेकिन गैरसायल संख्या 01 से 03 इसमें सहमत नहीं हो रहे है तथा दिनांक 18.10.2021 को सायलान ने गैरसायल संख्या 01 से 03 से कथन किया की इस भूमि के नाप चोप व रास्ता की भूमि को लेकर भविष्य में कोई विवाद नहीं हो इस वजह से आप इस भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लेवे तथा कोई विवाद नहीं करें। लेकिन गैरसायल संख्या 01 से 03 आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने से इन्कार हो गये है एवं गैरसायल संख्या 01 से 03 ने सायलान को ऐलानिया कथन किया कि वह न तो बंटवाड़ा करेगे एवं न ही तुम्हारे हक हिस्से की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता छोड़ेगें। जबकि विवादित भूमि सायलान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की होकर मौके पर आपसी सहमति से अलग–अलग बंटी हुई है। उसके बावजूद भी गैरसायलान विवाद कर रहे है। इस वजह से सायलान अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने के वैधानिक अधिकारी है लेकिन गैरसायल संख्या 01 से 03 उसमें सहमत नहीं हो रहे है। जिस पर सायलान के पास इस हेतु यह प्रार्थना पत्र बाबत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत बंट्वाड़ा का बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के सादर पेश है। दिनांक 18.10.2021 को गैरसायल संख्या 01 से 03 ने सायलान के हिस्से की भूमि में जाने वाले रास्ते को रोककर सायलान को इस खातेदारी भूमि से बेकाबिज करने की ऐलानिया धमकी भी दी है तथा सायलान को उसके कब्जे काश्त भूमि से बेकाबिज कर देने बाबत् ऐलानिया कथन भी किया है। यदि उक्त गैरसायल जबरदस्ती सायलान की कब्जा सुदा भूमि पर अपना कब्जा कर लेते है तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास [illegible] श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

व दस्तावेजात के आधार सायल का प्रथम दृष्टिया बहुत ही मजबूत मामला है कारण कि विवादित भूमि में से 2/3 वे हिस्से की नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार सायलान की खातेदारी काश्त की शामलाती भूमि है जिसका उपयोग–उपभोग एक मात्र सायलान ही करते आ रहे है तथा इस भूमि पर सायलान को हक अधिकार प्राप्त है यदि इस भूमि पर से बिना किसी हक व अधिकार के ही गैरसायलान सायलान को बेकाबिज कर सायलान की भूमि पर आवागमन के रास्ते में बाधा व अड़चन पैदा करते है तथा सायलान के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में होने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहक सायलान विरुद्ध गैरसायल के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायल विरुद्ध गैरसायल के इस आशय की जारी फरमावे कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि में सायलान अपने 2/3 वे हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करे, काश्त के मुतालिक कार्य करवावे एवं इस भूमि में आवागमन के रास्ते को काम में लेवे तो उसमें गैरसायलान स्वयं एवं उनके पारिवारिक सदस्य हाली एजेन्ट, रिश्तेदार आदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलअंदाजी नहीं करें, न ही कोई बाधा व अड़चन ही पैदा करें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायल विरुद्ध गैरसायल के मूल वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक के लिए जारी फरमाया जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 1 से 3 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया, जो सा.मि. है।

गैरसायल संख्या 1 से 3 ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हक हिस्से अनुसार सायलान एवं जबाब देहन्दागण काबिज है एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक–हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं जबाब देहन्दागण ने सायलान से भूमि के नापचौप सीमा व मांठ को लेकर कभी विवाद नही किया तथा आवागमन हेतू छोडे गये रास्ते के आवागमन में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नही की है क्योकि खसरा नम्बर 111 के पास ही पूर्व दिशा मे झांझनवास से पृथ्वीपुरा जाने वाली मुख्य सडक पर सायलान एवं सायलान के पिता की सामलाती कृषि भूमि आई हुई है। जिसमे से होकर सायलान अपने हक हिस्से की भूमि मे आते जाते है। अगर सायलान् मौके पर काबिज काश्त अनुसार बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाना चाहता है तो उसमे उत्तरदाता गैरसायलान को कोई आप्पति ऐतराज नही है। सायलान ने उत्तरदाता गैरसायलान को दिनांक 18/10[illegible] या अन्य किसी तारीख को भूमि के नापचौप करने व कानूनी [illegible] नही किया केवल मात्र उत्तरदाता गैरसायलान को तंग व परेशान [illegible] की नियत से एवं प्रार्थनापत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

करने की गरज से झुठी तारीख अंकित की है। विवादित कृषि भूमि सायलान एवं उत्तरदाता गैरसायलान के बीच संयुक्त शामलाती राजस्व रेकर्ड मे अवश्य दर्ज है परन्तु मौके पर सायलान एवं उत्तरदाता गैरसायलान के बीच आपसी सहमति से बंटवाडा हो रखा है। उत्तरदाता गैरसायलान ने सायलान के हक–हिस्से की भूमि मे किसी प्रकार से हस्तक्षेप एवं दखलन्दाजी नही की है तथा न ही भूमि मे आवामगन के रास्ते बाबत् कोई बाधा अडचन पैदा की है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो परिस्थितियो एवं दस्तावेजात तथा मौके पर उत्तरदाता प्रतिवादीगण का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायलान की बजाय गैरसायलान के पक्ष मे प्रमाणित है तथा गलत व झुठे तथ्यो का समावेश कर प्रस्तुत किये गये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र पर किसी प्रकार का आदेश उत्तरदाता प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी सायलान की बजाय गैरसायलान को होगी एवं गैरसायलान अपने साम्पैतिक हक हकूको एवं अधिकारो से हमेशा–हमेशा के लिये वंचित हो जायेगे। इसलिए सायलान द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नही होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे।

बहस वकील उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में अप्रार्थी के विरूद्ध बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध भू–अभिलेख अनुसार वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अविभाजित सह–खातेदारी भूमि है। चूंकि उभयपक्ष सहखातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी अविभाजित कृषि भूमि है। लिहाजा किसी भी एक सह–खातेदार या केवल प्रार्थीगण के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला निहित होना नहीं माना जा सकता है। अतः उपर्युक्त बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।
2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः–** प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष के मध्य हिस्से अनुसार बंटी हुई है एवं उसी अनुरूप काबिज काश्त है तथा मौके पर आवागमन के लिए सामलाती रास्ता भी छोडा हुआ है। लेकिन अप्रार्थीगण प्राथीगण के आवागमन में दखलन्दाजी कर रहे है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थी[illegible] द्वारा [illegible] प्रा.पत्र में प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते हुए अंकि[illegible] पर उभयपक्ष शांतिपूर्ण हिस्सेनुसार काबिज काश्त है तथा आवागमन हेतु छोडे गए रास्ते में कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज.

दखलन्दाजी नहीं है। क्योंकि खसरा संख्या 111 के पास ही पूर्व दिशा में झांझनवास से पृथ्वीपुरा जाने वाली मुख्य सडक पर सायलान एवं सायलान के पिता की सामलाती कृषि भूमि आई हुई है।

प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि जब उभयपक्ष हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तो सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थीगण के पक्ष में किस प्रकार निहित हो सकता है। साथ ही यह भी साबित करने में असफल रहे है कि उन्हें किस प्रकार अपूरणीय क्षति होना संभावित है। अतः उपर्युक्त दोनों बिन्दू भली भॉंति साबित नहीं होने से प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:23 IST
Reason: SelfAttested